(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4153–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर प्रकरण कमांक 40/अ–74/12–13.

हरिसिंह पिता मांगीलाल गौड
निवासी ग्राम कैलोद करताल
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यपदेश शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील इंदौर .....अनावेदक

श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, इंदौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राऊ इंदौर के माध्यम से कलेक्टर, इंदौर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 155, 156, 157, 244, 245, 246, 247 एवं 248 हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम स्वराज सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर प्रदान की गई थी, जो बाद के वर्षों में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे पर आवंटित की गई । उक्त भूमियां अहस्तान्तरणीय स्वरूप की होने के बावजूद शासकीय पट्टेधारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय कर दी गई है । उपरोक्त भूमियों में सर्वे कमांक 244 मूलतः शासकीय भूमि रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक

40/अ–74/12–13 दर्ज कर दिनांक 24–7–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियां म.प्र. शासन में वेष्टित किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 19–9–2017 को अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा पट्टे की शर्तों को बिना देखे आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर नामान्तरण कराया गया है, अतः वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है । इस स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) कलेक्टर द्वारा आवेदक सहित अन्य भूमिस्वामियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये भूमि शासकीय घोषित करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है, क्योंकि किसानों के भरण–पोषण हेतु यही भूमि उनके पास थी और उक्त भूमि शासकीय घोषित करने से उनके परिवारों का भरण–पोषण नहीं हो पा रहा है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि होने के बावजूद पट्टेधारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये विकय की गई है, अतः पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ हरिजन भूमिहीन

सोसायटी एवं ग्राम स्वराज्य सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पटटे पर प्रदाय की गई है । भूमियॉ अहस्तान्तरणीय होने के बावजूद संस्था के भूमिहीन सदस्य पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवेदक को किया गया है। संहिता की धारा 165–7(ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि पटटे की भूमि अहस्तान्तरणीय है और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकेगा । स्पष्ट है कि पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के विक्रय में संहिता की धारा 165–7–ख का उल्लंघन किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का स्वत्व समाप्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमियॉ शासकीय घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है, क्योंकि इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वामित्व की भूमि है और ना ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को अनुमति लिये जाने संबंधी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ किस व्यक्ति को कब पटटे पर प्रदान की गई थी और उसका प्रथम अंतरण कब और किसको हुआ है, अतः कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये जो निष्कर्ष निकाला गया है, वही न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू होंगे । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर